



शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों के बैंक खाते खोलना और उनका संचालन

ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 (जिसको मानसिक विकलांग अधिनियम कहा जाता है) ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति प्रदान करने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया था।

अधिनियम के तहत गठित स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति के लिए अधिनियम प्रदान करता है। इस प्रकार नियुक्त कानूनी अभिभावक बैंक खाता तब तक खोल और संचालित कर सकता है जब तक वह कानूनी अभिभावक बना रहता है। विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या उसके रिश्तेदार ऐसी विकलांगता वाले व्यक्तियों के अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तरीय समिति को आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पंजीकृत संस्था इस संबंध में अभिभावक की नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तर की समिति को भी आवेदन कर सकती है।



स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा जारी उक्त संरक्षकता प्रमाण पत्र के आधार पर, बैंक ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्ति के नाम पर खाता खोल सकता है। बालिग और नाबालिग दोनों अपने खाते को उनके अभिभावक द्वारा संचालित करने की अनुमति दे सकते हैं जैसा कि अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया है।

संचालन के क्षेत्र में स्थानीय स्तरीय समिति के पते के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:-

[List of local level committee](#)